(c) whether there has been price crease in specified food items d through Public Distribution stem in the last two years ;

(d) if so, the details thereof and e reasons therefor ; and

(e) whether the consumers are equently inconvenienced because unabated increase in the prices daily needed items and the meares taken by Government to check e rise in prices have proved ineffecve; and

(f) if so, what effective measures overnment have taken or propose take to contain the constant price se of essential commodities ?

THE MINISTER OF CIVIL UPPLIES, CONSUMER AFFARS AND PUBLIC DISTRIBUION (SHRI A. K. ANTONY):) and (b), (e) and (f) Variations in e open market prices of foodgrains nnot necessarily be attributed to ie revision of Central Issue Price f foodgrains supplied through ublic Distribution System. Howver, Government regularly monirs the prices and availability of ssential commodities including heat and rice for initiating appropriate action for containing the price ise.

(c) and (d) Yes, Sir. The Central ssue Price (CIP) of wheat and rice re revised by the Government rom time to time to partially neutralise the increase in Minimum Support Prices/Procurement Prices paid to farmers for wheat and paddy. The C.I.P. of rice and wheat for the ast two years are given below :—

(Rs. per quintal)

Commodity	Central Issue Price w.e.f. 11-1-93	Ex-FCI godown w.e.f. 1-2-94
Wheat . .	330	402
Rice—Common . .	437	537
Fine .	497	617
Superfine .	518	648

सुपर बाजार में बिक्री सहायकों के संबंध में नियम

694. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार के बिक्री सहायकों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तथा एक ही क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानांतरण करने संबंधित नियम क्या है ;

(ख) क्या इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है ;

(ग) सुपर बाजार के महाप्रबंधक के पास बिक्री सहायकों की एक क्षेत्र के अन्तर्गत और क्षेत्र से बाहर स्थानांतरण करने के संबंध में कितने प्रार्थना पत्र लंबित पड़े हैं;

(घ) क्या यह सच है कि नियंत्रण कक्ष में कार्यरत एक महिला बिक्री सहायक को वस्त्र विभाग में स्थानांतरित किया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या किसी क्षेत्र के बिक्री सहायकों को उनके निवास के पास के क्षेत्र में पद रिक्त होने के बावजूद अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाता है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार बिक्री सहायकों के स्थानांतरण से संबंधित बकाया मामलों के निपटाने तथा उन्हें उनके निवास के पास के क्षेत्रों की शाखाओं में स्थानांतरित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए० के० एंटनी) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उसके कर्मचारियों के लिये एक सेवा एवं आचरण नियमावली मौजूद है जिसे फरवरी, 1986 से लागू किया गया है । इसके नियम 19 में कर्मचारियों

की एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या एक विभाग/शाखा से दूसरे विभाग/शाखा में स्थानांतरण की शर्त रखी गई है ।

(ख) इन नियमों का अनुपालन स्टोर के कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये किया जा रहा है ।

(ग) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि महाप्रबधक के कार्यालय में प्राप्त हुये सभी आवेदन-पत्रों को निपटाया जा चुका है ।

(घ) और (ङ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि नवीकृत कपड़ा/सिले-सिलाये वस्त्र विभाग के कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये महिला बिक्री सहायक का स्थानांतरण किया गया था ।

(च) और (छ) सुपर बाजार ने सूचित किया है सामान्यत: स्थान स्थानांतरण कर्मचारी द्वारा दिये गये नवीनतम आवासीय पते को ध्यान में रखते हुये किए जाते हैं और ऐसा करते समय इस बात पर यथोचित ध्यान दिया जाता है कि आने-जाने की दूरी ज्यादा अधिक न हो । तथापि, दंडात्मक मामलों में इसका अनुसरण नहीं किया जाता है ।

सुपर बाजार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप

695. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित सुपर बाजार के उपमहाप्रबंधक (प्रशासन), सहायक प्रबंधक (कार्मिक) और सहायक प्रबंधक (क्रय) के खिलाफ भ्रष्टाचार के अनेक आरोप सिद्ध हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये कोई जांच समिति गठित की है ;

(घ) यदि हां, तो समिति की जांच निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है और क्य सरकार द्वारा उनका स्थानांतरण किय गया है ;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(छ) जांच समिति की रिपोर्ट की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सौंपने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उप महाप्रबंधक (प्रशासन) सहायक प्रबंधक (कार्मिक) और सहायक प्रबंधक (क्रय) के विरूद्ध भ्रष्टाचार के कोई आरोप सिद्ध नहीं हुये हैं ।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठता है ।

घटाये गये मूल्यों के लाभ खुदरा बाजार को न देना

696. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं प्रदान करने की घोषणाओं के कारण थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतें कम हो जाने के बावजूद उपभोक्ताओं को खुदरा बाजार में वस्तुएं कम कीमत पर नहीं मिलती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बाजार की इस प्रवृति पर अंकुश लगाने के लिये राष्ट्रीय स्तर की कोई योजना तैयार की है ; और